शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-8/2024/ए-1-132 /दस-2024-3(2)/87-10-1099/298/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक : 21 अक्टूबर, 2024

विषय:- दीपावली का पर्व होने के कारण नियत तिथि से पूर्व वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली, दिनांक 02 नवम्बर, 2024 को गोवर्धन पूजा तथा दिनांक 03 नवम्बर, 2024 को भाई दूज व चित्र गुप्त जयन्ती के त्योहार का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण श्री राज्यपाल महोदय समस्त राज्य कर्मचारियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन एवं उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह अक्टूबर, 2024 का वेतन एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 को किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कृपया इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,

संख्या-8/2024/ए-1-132/दस-2024-3(2)/87-10-1099/298/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वे समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

CamScanner

अपने स्तर से इस आदेश को परिचालित कराने का कष्ट करें।

(6) चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।

(7) करेंसी आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, इश्यू सेक्शन, कानपुर।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

CamScanner